धीरेन्द्र बहादुर सिंह, प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गोपालगंज
भरण–पोषण वाद सं0–78/2022
सुप्रिया भट्ट एवं अन्य बनाम हरिओम भट्ट
आदेश की तिथि – 10.08.2026

न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज
भरण–पोषण वाद सं0–78/2022

सुप्रिया भट्ट एवं अन्य .... आवेदिकागण।
बनाम
हरिओम भट्ट .... विपक्षी

आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री खजांची मिश्रा
विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता : श्री मनोज कुमार तिवारी

उपस्थित : श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज
आदेश की तिथि : 10.08.2026

आदेश

10.08.2026 **1.** आवेदिका की ओर से दिनांक 18.06.2026 को अंतरिम भरण–पोषण की राशि दिलवाने का आवेदन दिया गया तथा उनके विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि इस वाद मे दिनांक 18.03.2026 को अंतरिम भरण–पोषण का आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया। विपक्षी को इस आदेश की पूरी जानकारी है। परंतु बार–बार अवसर दिए जाने के बावजूद विपक्षी की ओर से आवेदिका को एक रूपए का भी भुगतान नही किया गया है। विपक्षी न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा है।

2. पुकार पर विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी को बार–बार अवसर दिए जाने के बावजूद उक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही दिया गया।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंतरिम भरण–पोषण का आदेश दिनांक 18.03.2026 को ही पारित किया गया है। उसके पश्चात् विपक्षी की ओर से मुकदमे मे लगातार पैरवी की जाती रही है। परंतु आवेदिका को एक रूपए भी भरण–पोषण की राशि का भुगतान नही किया जाना यह दिखाता है कि विपक्षी न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा है।

धीरेन्द्र बहादुर सिंह, प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गोपालगंज
भरण–पोषण वाद सं0–78/2022
सुप्रिया भट्ट एवं अन्य बनाम हरिओम भट्ट
आदेश की तिथि – 10.08.2026

अतः कार्यालय मो0 48,000/–रूपए अंतरिम भरण–पोषण राशि की वसूली के लिए विपक्षी के विरूद्ध डिस्ट्रेस वारंट जारी करें।

वाद दिनांक 03.09.2026 वास्ते आवेदिका का साक्ष्य।

लेखापित,

प्रधान न्या0

Date of order	
Date of reserving order	
Uploading date	
Uploaded by	